उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 6/2020/15/30-3-2020-12जीई/2011
लखनऊ, दिनॉक 02 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनॉक 05-11-2014 सपठित शासनादेश संख्या-08-2015-वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008टी0सी0-1, दिनॉक 03-03-2015 एवं शासनादेश संख्या-50/2015-वे0आ0-2-871/दस-62(एम)/2008, दिनॉक 26-08-2015 की व्यवस्थान्तर्गत सम्यक् विचारोपरांत श्री नरेश कुमार वर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को दिनांक 20.07.2017 से द्वितीय ए०सी०पी० (ग्रेड वेतन रू० 7600/-) का लाभ अनुमन्य किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह०/-
(डा० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-6/2020/15(1)/30-3-2020, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सम्बन्धित कार्मिक (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
6- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह०/-
(मदन मोहन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।